

भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये

₹ 10

TEN
RUPEES

Rs. 10

भारत

INDIA

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

प्रारूप - 26

11AA 353871

(नियम 4क देखिए)

20 रामपुर रोड (अ.ज.)
उत्तराखण्ड

निर्वाचन क्षेत्र से विधान सभा (सदन का नाम) के लिये निर्वाचन के लिये रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ-पत्र।



मैं वैदित्त बनानिया पुत्र स्व. सतपाल सिंह आयु 52 वर्ष जो 201/277 खुडवुडा

मो. देहरादून, देहरादून का निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन में अभ्यर्थी हूँ।
प्रतिज्ञा करता हूँ / शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ / करती हूँ -

मैं ऐसे किसी लम्बित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दण्डनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए है।

(यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी):

- ममला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएँ - 26/07
- पुलिस थाना (थाने) अलनवाला जिला या जिले देहरादून राज्य उत्तराखण्ड
- संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा(धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है 2(क)(ख) व 3(1) उत्तराखण्ड लो. स. निरूपण निरूपण अधि.
- न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों)की विरचना की गई C.J.M. देहरादून

वैदित्त बनानिया

- (v) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गया था/किए गए थे -----
 (vi) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/ हैं

2. मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास से दंडादिष्ट किया गया है/नहीं किया गया है।
 (यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्ध दोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा):

- (i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएँ ----- लागू नहीं
 (ii) न्यायालय, जिसने दण्डित किया है ----- लागू नहीं
 (iii) पुलिस थाना (थाने) ----- जिला (जिले) ----- राज्य -----
 (iv) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा(धाराएँ) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी कभी आरोपित किया गया है ----- लागू नहीं

(v) तारीख (तारीखें) जिनको दंडादेश सुनाया गया था/सुनाए गए थे ----- लागू नहीं
 (vi) क्या दंडादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है/रोके गए हैं ----- लागू नहीं



अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं, ऊपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता/करती हूँ कि इस शपथ पत्र की अन्तर्वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और कोई तात्त्विक बात छिपायी नहीं गई है।

देहरादून स्थान पर आज दिनांक 10.1.2012 को सत्यापित किया।

This affidavit is sworn before me by
 Shri. ...
 who is identified by ...
 at Dehradun on ...

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

(Rajender Singh Negi)
 Advocate & Notary, Dehradun